

### अस्वीकरण

वेबसाइट पर दर्शाए तथा सुझावित उत्तर परीक्षा में छात्र के उत्तरों के मूल्यांकन का आधार नहीं है। ये उत्तर छात्रों को पढ़ाई में मदद करने के उद्देश्य से पाठ्यक्रम समिति के संकाय द्वारा तैयार किए जाते हैं। जहां आवश्यक हो, वैकल्पिक उत्तर दिया गया है। यद्यपि, उत्तर तैयार करते समय पूरी सावधानी बरती जाती है, लेकिन यदि कोई त्रुटि या चूक सामने आती है, तो उसे पाठ्यक्रम समिति के निदेशक के संज्ञान में लाया जा सकता है। संस्थान की परिषद् यहां प्रकाशित उत्तरों की शुद्धता या अन्य बातों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है।

इसके अतिरिक्त, केस स्टडी आधारित वैकल्पिक प्रश्न-पत्र को, प्रश्नों में दिए गए तथ्यों या प्रश्न में प्रयुक्त भाषा से प्राप्त कुछ धारणाओं/विचारों के आधार पर हल किया गया है। अपनाई गई धारणाओं या विचारों के आधार पर केस स्टडी संबंधित प्रश्न का हल अलग तरीके या विधि से किया सकता है।

## 2 फाइनल (नई) परीक्षा: दिसंबर, 2021 (FINAL (NEW) EXAMINATION: DECEMBER, 2021)

### प्रश्न-पत्र-6च: बहु-अनुशासनात्मक केस स्टडी

प्रश्न-पत्र में पांच केस स्टडी पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। छात्रों को पांच में से किन्हीं चार केस स्टडी पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है।  
आपके सभी कार्यकलाप आपके उत्तर का हिस्सा होने चाहिए।

#### केस स्टडी - 1

##### मामले से संबंधित तथ्य

1. पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (इसके पश्चात् पीजीसीआईएल या 'प्रिंसिपल' के रूप में उल्लिखित किया गया है) द्वारा अमेरिकी कंपनी टेलीकॉम इंक. (इसके पश्चात् "ठेकेदार" के रूप में उल्लिखित किया गया है) के साथ पूरे देश में फैले ग्रिड के साथ-साथ इसके दूरसंचार नेटवर्क को बढ़ाने अनुबंध किया गया है। आवेदक ने जुलाई, 2020 के महीने में वैश्विक निविदा प्रक्रिया के तहत एल-1 का अनुबंध जीता है।
2. प्रदान किए गए अनुबंध में दो अलग-अलग समझौते सम्मिलित हैं:
  1. व्यवहार्य तथा पूर्णतः कार्यात्मक फाइबर ऑप्टिक ट्रांसमिशन सिस्टम (एफओटीएस) हेतु तकनीकी विनिर्देश में बताए गए डीडब्ल्यूडीएम प्रणाली, इससे सभी संबद्ध हार्डवेयर, केबल, सहायक उपकरण व फिटिंग, दूरसंचार प्रबंधन नेटवर्क (टीएमएन) तथा अन्य सभी संबद्ध कार्यों / मदों की आपूर्ति हेतु ऑफ-शोर समझौता। आपूर्ति समझौते के लिए निर्धारित कीमत 20,000,000 अमेरिकी डॉलर थी।
  2. सभी गतिविधियों अर्थात् डीडब्ल्यूडीएम प्रणाली की स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग, प्रशिक्षण एवं रखरखाव, इससे संबद्ध सभी हार्डवेयर, केबल, सहायक उपकरण व फिटिंग, एक वर्ष की वारंटी अवधि के साथ-साथ वारंटी अवधि की समाप्ति की तारीख से पांच (5) वर्ष की पश्चात् की अवधि के दौरान टीएमएन के निष्पादन हेतु ऑन-शोर समझौता। स्थापना, परीक्षण एवं कमीशनिंग हेतु सर्विस एग्रीमेंट का निर्धारित मूल्य ₹1,75,00,000/- तथा पांच वर्ष की रखरखाव अवधि हेतु ₹60,00,000/- प्रति वर्ष निर्धारित किया गया था।
3. टेलीकॉम इंक. ने 20 से अधिक वर्षों के अनुभव वाले अनुभवी टेलीकॉम इंजीनियर श्री स्वामी को कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है, जो अनुबंध को सफलतापूर्वक पूरा कराने का कार्य करेंगे।
4. दोनों अनुबंधों में एक खंड यह भी है कि ठेकेदार भारत में उस पर लागू सभी कानूनों का पालन करेगा। आप एक चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं और ठेकेदार ने विभिन्न स्थानीय नियामक आवश्यकताओं का पालन करने हेतु मार्गदर्शन तथा सहायता करने के लिए आपसे संपर्क किया है।
5. पहली बैठक में, दूरसंचार इंक. के निदेशक (सेल्स) श्री आर स्मिथ के साथ-साथ श्री स्वामी ने आपको पीजीसीआईएल द्वारा आवेदक को दिए गए समझौते की प्रतियां तथा श्री स्वामी

को कंट्री मैनेजर के रूप में जारी नियुक्ति पत्र की प्रति प्रदान की। चर्चा के दौरान आपको निम्नलिखित जानकारी भी दी गई:

- (क) टेलीकॉम इंक दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहा है लेकिन भारत में यह उनका पहला अनुबंध है। हालांकि, इसने अमेरिका में निर्मित होने वाले कुछ पुर्जे भारत के उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री की है।
  - (ख) सामग्री की आपूर्ति संबंधी समझौते को यूएसए से पीजीसीआईएल को माल/सामग्रियों की सीधी आपूर्ति द्वारा निष्पादित किया जाएगा।
  - (ग) ऑन-शोर सेवा समझौते को निष्पादित करने हेतु, अमेरिकी कंपनी मुंबई में एक कार्यालय स्थापित करना चाहती थी तथा पीजीसीआईएल के विभिन्न स्थानों पर अनुबंध की जिम्मेदारी संभालने हेतु उपयुक्त कर्मियों को नियुक्त करेगी।
6. आपको कंपनी को उन पर लागू विभिन्न स्थानीय कानूनों तथा अनुबंध के निष्पादन के साथ-साथ विभिन्न लागू कानूनों के तहत आने वाली औपचारिकताओं को शुरू करने से पहले पूरी की जाने वाली इनके बारे में समझाने हेतु कहा गया है, जिनका अनुबंध को पूरा करने की अवधि के दौरान अनुपालन किया जाना है।

**भाग- क**

**बहु विकल्पीय प्रश्न**

**निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प प्रदान करें:**

- 1.1 चूंकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पीजीसीआईएल द्वारा टेलीकॉम इंक. को ठेके दिए गए हैं। यह भारत में व्यावसायिक गतिविधियाँ शुरू कर सकता है:
  - (क) किसी अन्य नियामक से कोई अन्य अनुमोदन प्राप्त किए बिना।
  - (ख) आरबीआई से अनुमति लेने के पश्चात्।
  - (ग) कर अधिकारियों से अनुमति लेने के पश्चात्।
  - (घ) आरबीआई तथा कंपनी रजिस्ट्रार से अनुमोदन के पश्चात्।
- 1.2 चूंकि आपूर्ति एवं सेवा अनुबंध एक साथ दिए गए हैं, सामग्री की आपूर्ति के लिए यूएसए में प्राप्त भुगतान:
  - (क) भारत में अर्जित या उत्पन्न आय या भारत में अर्जित होने या उत्पन्न होने के कारण भारत में कर योग्य होनी चाहिए।
  - (ख) भारत में प्राप्त या भारत में प्राप्त समझी जाने वाली आय के रूप में भारत में कर योग्य होनी चाहिए।
  - (ग) कर योग्य नहीं होगी क्योंकि भारत में आय प्राप्त नहीं हुई है।
  - (घ) कर योग्य नहीं होगी क्योंकि न तो प्राप्त आय या प्राप्त समझी जाने वाली आय तथा न ही आय अर्जित हुआ है या उत्पन्न हुआ है या भारत में अर्जित या उत्पन्न मानी जाती है।
- 1.3 टेलीकॉम इंक. परियोजना कार्यालय को हर वर्ष आरबीआई के समक्ष फाइल करना होता है:

**4 फाइनल (नई) परीक्षा: दिसंबर, 2021 (FINAL (NEW) EXAMINATION: DECEMBER, 2021)**

- (क) विदेशी संपत्ति तथा देयता विवरण  
(ख) वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट  
(ग) वार्षिक गतिविधि प्रमाणपत्र  
(घ) वार्षिक रिपोर्ट
- 1.4 टेलीकॉम इंक. पर लागू आयकर की दर होगी:  
(क) 22%  
(ख) 25%  
(ग) 30%  
(घ) 40%
- 1.5 क्या टेलीकॉम इंक. आयकर अधिनियम, 1961 के तहत दो पैन रख सकता है, एक आपूर्ति अनुबंध तथा दूसरा सेवा अनुबंध के लिए:  
(क) इसके लिए पैन की आवश्यकता नहीं है।  
(ख) हां, दो पैन अनिवार्य हैं।  
(ग) हां, इसमें दो पैन रखने का विकल्प है।  
(घ) नहीं, यह दो पैन नहीं रख सकता है।
- (2 x 5 = 10 अंक)

**भाग-ख**

**वर्णनात्मक प्रश्न**

- 1.6 भारत में अपना व्यवसाय शुरू करने से पहले पूर्व कंपनी अधिनियम, 2013 तथा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत टेलीकॉम इंक. द्वारा उठाए जाने वाले अनिवार्य विभिन्न कदमों को संक्षेप में बताएं?  
(10 अंक)
- 1.7 मैसर्स टेलीकॉम इंक. को 31-3-2021 को समाप्त अपने पहले वित्तीय वर्ष हेतु अपनी आय रिटर्न दाखिल करते समय आयकर अधिनियम, 1961 के तहत किए जाने वाले अनुपालन की व्याख्या करें।  
(5 अंक)

**केस स्टडी 1 का उत्तर**

**भाग - क**

- 1.1 (ख)  
1.2 (घ)  
1.3 (ग)  
1.4 (घ)  
1.5 (घ)

**भाग - ख**

- 1.6 कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत टेलीकॉम इंक. द्वारा उठाए गए कदम

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 379 के अनुसार, धारा 380 से 386 (दोनों सम्मिलित) और धारा 392 व 393 सभी विदेशी कंपनियों पर लागू होंगे। इसके अलावा, विदेशी कंपनी का दर्जा हासिल करने तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड XXII के प्रावधानों का पालन करने के लिए, टेलीकॉम इंक. के शेयरधारकों में से कम से कम 50% शेयरधारक भारत में निगमित निकाय निगमों से मिलकर बने होंगे। टेलीकॉम इंक. को इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों का भी पालन करना होगा जो कि भारत में निगमित कंपनी के अनुसार भारत में अपने व्यवसाय के स्थान पर किए गए व्यवसाय के संबंध में निर्धारित किया जा सकता है।

**कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 380 के अनुसार भारत में अपना व्यवसाय संचालन शुरू करने से पहले टेलीकॉम इंक. द्वारा रजिस्ट्रार के समक्ष दस्तावेज आदि दाखिल करने के संदर्भ में निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे:**

- (i) प्रत्येक विदेशी कंपनी, भारत में अपने व्यवसाय की स्थापना के 30 दिनों के भीतर, पंजीकरण हेतु रजिस्ट्रार को सुपुर्द करेगी:
  - (क) कंपनी के चार्टर, कानून या ज्ञापन व अनुच्छेद की प्रमाणित प्रति या कंपनी के संविधान को बनाने या परिभाषित करने वाले अन्य साधन।
  - (ख) कंपनी के पंजीकृत या प्रधान कार्यालय का पूरा पता;
  - (ग) कंपनी (विदेशी कंपनियों का पंजीकरण) नियम, 2014 के नियम 3 के तहत निर्धारित विवरण वाले कंपनी के निदेशकों एवं सचिव की सूची;
  - (घ) भारत में निवासी एक या एक से अधिक व्यक्तियों के नाम तथा पते, जो कंपनी की ओर से प्रक्रिया की सेवा तथा कंपनी पर तामील किए जाने के लिए आवश्यक किसी भी नोटिस या अन्य दस्तावेजों को स्वीकार करने के लिए अधिकृत हैं;
  - (ङ) भारत में कंपनी के कार्यालय का पूरा पता, जिसे भारत में इसके कारोबार का प्रमुख स्थान माना जाता है;
  - (च) पहले भारत में व्यवसाय खोलने और बंद करने के स्थान का विवरण;
  - (छ) यह घोषणा कि कंपनी के किसी भी निदेशक या भारत में अधिकृत प्रतिनिधि को कभी भी भारत या विदेश में कंपनियों और प्रबंधन के गठन से दोषी या वंचित नहीं किया गया है; और
  - (ज) कोई अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है।
- (ii) आवेदन करने तथा निर्धारित दस्तावेजों को जमा करने हेतु फॉर्म, प्रक्रिया तथा समय: कंपनी (विदेशी कंपनियों का पंजीकरण) नियम, 2014 के अनुसार, उपरोक्त जानकारी भारत में अपने व्यवसाय के स्थान की स्थापना के 30 दिनों के भीतर, फॉर्म एफसी -1 में धारा 380 (1) में निर्धारित शुल्क एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए। आवेदन को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम या विनियमों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य नियामकों से भी, यदि कोई हो, से अनुमोदन की एक सत्यापित प्रति देनी चाहिए, जो ऐसी विदेशी कंपनी द्वारा भारत में व्यवसाय स्थापित करने हेतु अनुमोदन या

## 6 फाइनल (नई) परीक्षा: दिसंबर, 2021 (FINAL (NEW) EXAMINATION: DECEMBER, 2021)

ऐसी विदेशी कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि से घोषणा की आवश्यकता होती है कि इस तरह के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

(iii) **कार्यालय जहां दस्तावेज वितरित किए जाने हैं** तथा दस्तावेजों के पंजीकरण हेतु शुल्क:

1. कंपनी (विदेशी कंपनियों का पंजीकरण) नियम, 2014 के नियम 8 के अनुसार, ऐसा कोई भी दस्तावेज जिसे किसी विदेशी कंपनी को रजिस्ट्रार को देने की आवश्यकता होती है, उसे नई दिल्ली के अधिकार क्षेत्र वाले रजिस्ट्रार को दिया जाएगा।
2. यह निर्धारित शुल्क के साथ संलग्न होगा।
3. यदि किसी विदेशी कंपनी का भारत में कारोबार बंद हो जाता है, तो वह तुरंत रजिस्ट्रार को इसकी सूचना देगी, और जिस तारीख को ऐसा नोटिस दिया गया है, उस तारीख से कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार को कोई दस्तावेज देने का दायित्व समाप्त हो जाएगा, बशर्ते उसका भारत में व्यवसाय किसी अन्य स्थान से न चल रहा हो।

**फेमा, 1999 के तहत टेलीकॉम इंक. द्वारा उठाए जाने वाले कदम**

फेमा की धारा 6(6) के अनुसार, इस धारा के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रिजर्व बैंक, भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी शाखा, कार्यालय या व्यवसाय के अन्य स्थान से संबंधित किसी भी गतिविधि को करने हेतु भारत में किसी शाखा, कार्यालय या व्यवसाय के अन्य स्थान की स्थापना को प्रतिबंधित, प्रतिबंधित या विनियमित कर सकता है।

**विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत में शाखा कार्यालय खोलने के मानदंड**

किसी विदेशी संस्था द्वारा भारत में शाखा कार्यालय खोलने संबंधी सामान्य मानदंड इस प्रकार हैं:

- (i) भारत में बीओ/एलओ/पीओ स्थापित करने हेतु विदेशी कंपनियों (भारत के बाहर निगमित निकाय, जिसमें कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ शामिल है) के आवेदनों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार एडी श्रेणी-I बैंक द्वारा विचार किया जाएगा।
- (ii) कुछ मामलों में, एडी श्रेणी-I बैंक, आरबीआई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्वयं अनुमोदन प्रदान कर सकता है।

हालांकि, कुछ मामलों में, आरबीआई की मंजूरी की आवश्यकता होती है। उस स्थिति में, आवेदन आरबीआई को अग्रेषित किया जाएगा।

**कतिपय मामलों में भारत में बीओ/एलओ/पीओ खोलने हेतु आरबीआई का पूर्वानुमोदन**

<sup>2</sup>कुछ मामलों में, भारत में बीओ/एलओ/पीओ केवल आरबीआई के अनुमोदन से ही खोले जा सकते हैं। उस स्थिति में, आवेदन अनुमोदन हेतु आरबीआई को भेजा जाएगा।

<sup>1</sup>प्रावधान आरबीआई (फेड) के मास्टर निर्देश संख्या 10/2015-16 दिनांक 1-1-2016 के पैरा 1 में निहित हैं विदेशी मुद्रा प्रबंधन के विनियमन 3 (शाखा या कार्यालय या संपर्क कार्यालय या एक परियोजना कार्यालय या व्यवसाय के अन्य स्थान की भारत में स्थापना) विनियम, 2016

<sup>2</sup>FEM का विनियमन 5 (शाखा या कार्यालय या संपर्क कार्यालय या एक परियोजना कार्यालय या व्यवसाय के किसी अन्य स्थान के भारत में स्थापना) विनियम, 2016

भारत में बीओ/एलओ/पीओ खोलने हेतु भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति के आवेदन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी और एडी श्रेणी-I बैंक द्वारा महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय कक्ष, विदेशी मुद्रा विभाग, 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110 001 को अग्रेषित किया जाएगा।

आरबीआई भारत सरकार के परामर्श से अनुमोदन हेतु आवेदनों को संसाधित करेगा, जहां आवेदक का मुख्य व्यवसाय रक्षा, दूरसंचार, निजी सुरक्षा और सूचना और प्रसारण के अलावा दूरसंचार क्षेत्र में आता है। हालांकि, उन मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी जहां संबंधित मंत्रालय/नियामक द्वारा सरकार की मंजूरी या लाइसेंस/अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। भारत सरकार की 21 जनवरी, 2019 की अधिसूचना में प्रयुक्त शब्द "अनुमति" में उपरोक्त चार क्षेत्रों के संबंध में स्वचालित मार्ग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तहत उपलब्ध सामान्य अनुमति, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

- 1.7 टेलीकॉम इंक. द्वारा डीडब्ल्यूडीएम सिस्टम की ऑफ-शोर आपूर्ति के संबंध में भुगतान भारत में कर हेतु प्रभार्य नहीं होगा, क्योंकि ऐसी आपूर्ति भारत के बाहर की जा रही है तथा इसे भारत में अर्जित या उत्पन्न नहीं माना जाएगा। हालांकि, डीडब्ल्यूडीएम प्रणाली की स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग, प्रशिक्षण तथा रखरखाव की गतिविधियां तकनीकी सेवाओं के दायरे में आती हैं। धारा 9(1)(vii) के अनुसार, भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा देय एफटीएस को अनिवासी आदाता द्वारा भारत में अर्जित या उत्पन्न माना जाएगा। इस प्रकार, ऐसा भुगतान टेलीकॉम इंक. द्वारा भारत में कर के लिए प्रभार्य होगा।

यदि अमेरिकी कंपनी टेलीकॉम इंक, ऑन-शोर सेवा समझौते को निष्पादित करने हेतु मुंबई में अपना कार्यालय स्थापित करती है, तो ऐसा कार्यालय टेलीकॉम इंक. की स्थायी स्थापना होगी। चूंकि टेलीकॉम इंक. का भारत में पीई है तथा पावरिंग ग्रिड्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ समझौते ऐसे पीई से संबद्ध हैं तथा इस तरह के समझौते वर्ष 2020 में किए गए हैं। तदनुसार, धारा 44डीए के अनुसार, तकनीकी प्रदान करने से होने वाली आय की गणना आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार "व्यापार या पेशे के लाभ तथा मुनाफे" मद के तहत की जाएगी; तथा 40% की दर से कर (प्लस सरचार्ज@2% व एचईसी@4%) के अधीन होगा।

टेलीकॉम इंक. को धारा 44ए के तहत खात बही बनाए रखना अनिवार्य है तथा धारा 44एबी के तहत उसका लेखा-जोखा तैयार करना है तथा निर्दिष्ट तारीख से पहले रिपोर्ट प्रस्तुत करना है, अर्थात् निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए धारा 139(1) के तहत रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख से एक महीने पहले की तारीख।

टेलीकॉम इंक. को धारा 139क के अनुसार पैन प्राप्त करना अनिवार्य है।

#### **केस स्टडी - 2**

*आपको एक्सवाईजेड लिमिटेड की 12वीं वार्षिक आम बैठक में 28-09-2020 को पांच वर्ष की अवधि हेतु वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। आपकी नियुक्ति मैसर्स एबी एंड कंपनी, चार्टर्ड*

## 8 फाइनल (नई) परीक्षा: दिसंबर, 2021 (FINAL (NEW) EXAMINATION: DECEMBER, 2021)

एकाउंटेंट्स के स्थान पर की गई है, जिन्हें कंपनी अधिनियम की अनिवार्यताओं के अनुसार बदला जा रहा है।

एक्सवाईजेड लिमिटेड एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी है जिसमें एक सूचीबद्ध कंपनी सीडीई लिमिटेड के पास 50% इक्विटी शेयर हैं। शेष 50% इक्विटी शेयर श्री एफजी एवं उनके करीबी रिश्तेदारों के पास हैं।

एक्सवाईजेड लिमिटेड का प्रबंधन श्री एफजी तथा उनके बेटे द्वारा किया जा रहा है। सीडीई लिमिटेड ने अपने दो निदेशकों को एक्सवाईजेड लिमिटेड का निदेशक भी नियुक्त किया है।

सीडीई लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) दोनों में सूचीबद्ध है।

एक्सवाईजेड लिमिटेड एक मैनुफैक्चरिंग कंपनी है जो वाणिज्यिक ट्रकों के लिए ऑटो पार्ट पिस्टन का उत्पादन करती है।

सीडीई लिमिटेड भी एक मैनुफैक्चरिंग कंपनी है जो देश में तीन अलग-अलग स्थानों पर अपने असेंबली प्लांट के ज़रिए कॉमर्शियल ट्रकों का उत्पादन करती है।

31 मार्च, 2017 तक, एक्सवाईजेड लिमिटेड द्वारा बनाए गए सभी पिस्टन को सीडीई लिमिटेड द्वारा खरीदा गया था। हालांकि, 1 अप्रैल 2017 से, एक्सवाईजेड लिमिटेड ने सीडीई लिमिटेड के लिए अनुबंध किया है तथा इस उद्देश्य हेतु दोनों कंपनियों के बीच एक समझौता किया गया है। समझौते की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- (1) एक्सवाईजेड लिमिटेड की स्थापित क्षमता 200,000 पिस्टन प्रति वर्ष है। इष्टतम उत्पादन स्तर स्थापित क्षमता के 80% से कम नहीं होने की अपेक्षा है।
- (2) उत्पादन हेतु सभी कच्चे माल / पार्ट्स की खरीद व आपूर्ति सीडीई लिमिटेड द्वारा एक्सवाईजेड लिमिटेड को की जाएगी। सुचारू व निर्बाध उत्पादन हेतु एक्सवाईजेड लिमिटेड के पास कच्चे माल/पार्ट्स की पर्याप्त मात्रा का स्तर बनाए रखा जाएगा।
- (3) एक्सवाईजेड लिमिटेड को 5% उत्पादन हानि की अनुमति होगी।
- (4) किसी भी उत्पादन स्क्रेप का निपटान एक्सवाईजेड लिमिटेड द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा। स्क्रेप की बिक्री से प्राप्त रसीद केवल एक्सवाईजेड लिमिटेड के क्रेडिट में होगी।
- (5) एक्सवाईजेड लिमिटेड द्वारा एक अनुमानित लागत शीट कच्चे माल / पार्ट्स, मजदूरी व स्टोर / उपभोग्य सामग्रियों की प्रचलित लागत के आधार पर तैयार किया जाएगा और सीडीई लिमिटेड द्वारा प्रत्येक नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले अग्रिम रूप से अनुमोदित किया जाएगा।
- (6) एक्सवाईजेड लिमिटेड को इसकी अनुबंध रसीद के रूप में उत्पादन लागत का 30% दिया जाएगा।
- (7) उत्पादन एक्सवाईजेड लिमिटेड द्वारा अपने गोदाम में संग्रहीत किया जाएगा तथा सीडीई लिमिटेड के विभिन्न असेंबली प्लांट को तीन महीने पहले प्रदान किए गए वितरण कार्यक्रम के अनुसार भेजा जाएगा।



(8) सीडीई लिमिटेड के संबंधित असेंबली प्लांटों पर एक्सवाईजेड लिमिटेड द्वारा जारी किए गए चालान का भुगतान संबंधित संयंत्रों द्वारा किया जाएगा जहां उत्पादों की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर उत्पादों की डिलीवरी की जाएगी।

(9) सीडीई दिन-प्रतिदिन के संचालन में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

31-03-2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, आपने एक्सवाईजेड लिमिटेड के खातों में निम्नलिखित लेनदेन देखे:

- (1) आपूर्ति के प्रति अग्रिम सीडीई लिमिटेड से ₹2,00,000,000 प्राप्त किया गया था। हालांकि, एक्सवाईजेड लिमिटेड द्वारा तैयार उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार हेतु पुरानी मशीनरी को बदलने के लिए इसका उपयोग किया गया। कंपनी द्वारा सीडीई लिमिटेड को उक्त अग्रिम के संदर्भ में कोई आपूर्ति नहीं की गई थी।
- (2) एक्सवाईजेड लिमिटेड द्वारा सीडीई लिमिटेड के निर्देश पर आयातक एवं सीडीई लिमिटेड द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत मूल्य पर एक निर्यात आदेश को पूरा किया गया है।
- (3) सीडीई लिमिटेड की यूनिट्स में से एक को आपूर्ति की गई 2500 पिस्टन की एक खेप को उत्पादन में उपयोग की जाने वाली घटिया गुणवत्ता वाली सामग्री के कारण अस्वीकार कर दिया गया है।
- (4) निर्धारण अधिकारी ने कंपनी द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए दावा किए गए संयंत्र एवं मशीनरी पर मूल्यहास को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया है कि अनुबंध निर्माण की व्यवस्था संयंत्र तथा मशीनरी पर मूल्यहास का दावा करने हेतु पक्षों द्वारा खराब तरीके से की गई है, जबकि का समझौते के अनुसार पूरे संयंत्र को पट्टे पर देना है और इसलिए, आय का आकलन 'व्यवसाय या पेशे से लाभ या मुनाफे' मद के बजाय 'घरेलू की संपत्ति से आय' के तहत किया गया है। कंपनी ने उक्त निर्धारण आदेश के खिलाफ सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील दायर की है तथा अपील अभी तक लंबित थी।

**भाग- क**

**बहु विकल्पीय प्रश्न**

**निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प प्रदान करें:**

2.1 एबी एंड कंपनी एक्सवाईजेड लिमिटेड को सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं थी क्योंकि:

- (क) उन्होंने 31-3-2020 को समाप्त वर्ष हेतु एक संशोधित राय दी है।
- (ख) उन्होंने कंपनी के लेखा परीक्षकों के रूप में पांच-पांच वर्ष के दो कार्यकाल पूरे कर लिए होंगे।
- (ग) प्रबंधन को हर साल किसी अन्य चार्टर्ड एकाउंटेंट को नियुक्त करने की स्वतंत्रता है।
- (घ) वे आपकी फर्म से छोटी फर्म हैं।

2.2 एक्सवाईजेड लिमिटेड का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्ति होने के पश्चात्, आपको निम्न करने की आवश्यकता होगी:

**10 फाइनल (नई) परीक्षा: दिसंबर, 2021 (FINAL (NEW) EXAMINATION: DECEMBER, 2021)**

- (क) अपना ऑडिट असाइनमेंट तुरंत शुरू करने।  
(ख) आपके द्वारा असाइनमेंट को स्वीकार करने में उनकी आपत्ति, यदि कोई हो, जानने हेतु पिछले लेखा परीक्षकों के साथ संवाद करना।  
(ग) आपके साथ संवाद करने हेतु सेवानिवृत्त लेखा परीक्षक की प्रतीक्षा करें।  
(घ) अपने ऑडिट असाइनमेंट को पिछले ऑडिटर से उनकी आपत्ति, यदि कोई हो, के बारे में पुष्टि होने तक शुरू करना।
- 2.3 जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 में प्रावधान किया गया है, एक्सवार्डजेड लिमिटेड का सीडीई लिमिटेड के साथ संबंध सहयोगी का है क्योंकि:
- (क) सीडीई लिमिटेड के पास एक्सवार्डजेड लिमिटेड के 50% इक्विटी शेयर हैं।  
(ख) सीडीई लिमिटेड एक्सवार्डजेड लिमिटेड का पूरा उत्पादन खरीद रहा था।  
(ग) एक्सवार्डजेड लिमिटेड ने सीडीई लिमिटेड द्वारा दी गई ₹2,00,00,000 की राशि का उपयोग किया है।  
(घ) सीडीई लिमिटेड एक्सवार्डजेड लिमिटेड पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है तथा इंड एस के तहत नियंत्रण की परिभाषा को पूरा नहीं करता है।
- 2.4 भारतीय लेखा मानक (इंड एस)-16 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के संदर्भ में, पुरानी मशीनरी के प्रतिस्थापन की गणना निम्न रूप में एक्सवार्डजेड लिमिटेड द्वारा किया जाएगा:
- (क) पीपीई के अतिरिक्त क्योंकि व्यय पीपीई की परिभाषा को पूरा करता है।  
(ख) पीपीई के अतिरिक्त क्योंकि यह एक बहुत बड़ा खर्च है।  
(ग) राजस्व व्यय क्योंकि यह मौजूदा संयंत्र को बदलने से संबंधित है।  
(घ) राजस्व व्यय, क्योंकि प्रबंधन ने अपने अल्पकालिक संसाधनों से उस व्यय को किया है।
- 2.5 एक्सवार्डजेड लिमिटेड के सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में, मशीनरी के प्रतिस्थापन के लिए आपूर्ति के खिलाफ अग्रिम का उपयोग करने के संदर्भ में आपका प्रश्न होगा:
- (क) क्या इसका इस्तेमाल पक्षों की सहमति से किया गया था।  
(ख) आपूर्ति के बदले अग्रिम का उपयोग कभी भी किसी अन्य उद्देश्य हेतु नहीं किया जा सकता, ऐसा क्यों किया गया?  
(ग) कंपनी ने वास्तव में लंबी अवधि के उद्देश्य हेतु अल्पकालिक निधि का उपयोग किया है। कारणों को जानना आवश्यक है क्योंकि इस मामले को रिपोर्ट करने की आवश्यकता है।  
(घ) मशीनरी हमेशा बैंक से टर्म लोन लेकर ही खरीदनी चाहिए। कंपनी ने ऐसा क्यों नहीं किया?
- (2 x 5  
= 10 अंक)

**भाग-ख**

**वर्णनात्मक प्रश्न**

**प्रश्न-पत्र-6च: बहु-अनुशासनात्मक केस स्टडी**  
**(PAPER – 6F: MULTIDISCIPLINARY CASE STUDY)**

11

- 2.6 सीडीई लिमिटेड के लिए अनुबंध निर्माण (कॉन्ट्रैक्ट मैनुफैक्चरिंग) का समझौते करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार एक्सवार्डजेड लिमिटेड ने किस तरह का अनुपालन किया होगा? **(5 अंक)**
- 2.7 सीडीई लिमिटेड के साथ ट्रांजेक्शन के संबंध में 31.03.2021 को समाप्त वर्ष हेतु एक्सवार्डजेड लिमिटेड के वित्तीय विवरण से आप कौन-सी प्रकटीकरण आवश्यकताएं सत्यापित करना चाहेंगे? क्या आपके ऑडिट के दायरे में टीडीएस तथा जीएसटी अनुपालन भी शामिल होंगे? **(5 अंक)**
- 2.8 कृपया तर्क सहित स्पष्ट करें कि क्या निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यावसायिक लाभ के स्थान पर 'घरेलू संपत्ति से आय' मद में मूल्यहास की अस्वीकृति एवं आय का निर्धारण उचित था। **(5 अंक)**

**12 फाइनल (नई) परीक्षा: दिसंबर, 2021 (FINAL (NEW) EXAMINATION: DECEMBER, 2021)**

**केस स्टडी 2 का उत्तर**

**भाग - क**

**2.1 (ख)**

**2.2 (ख)**

**2.3 (घ)**

**2.4 (क)**

**2.5 (क) या (ख) या (ग)**

**भाग - ख**

**2.6** मौजूदा मामले में, एक्सवॉइज्ड लिमिटेड एक गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी है जिसमें सूचीबद्ध कंपनी सीडीई लिमिटेड का 50% इक्विटी शेयर है। इसका मतलब है कि ये कंपनियां, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(6) के तहत सहयोगी कंपनियां हैं।

धारा 2(76)(viii)(क) के अनुसार, किसी कंपनी के संदर्भ में "संबंधित पक्ष" का अर्थ ऐसी कंपनी से है जो ऐसी कंपनी की होल्डिंग, सहायक या सहयोगी कंपनी है। इसलिए, सीडीई लिमिटेड तथा एक्सवॉइज्ड लिमिटेड संबंधित पक्ष हैं और इसलिए धारा 188 के तहत अनुपालन लागू होगा।

धारा 188 (1) के अनुसार, निदेशक मंडल की बैठक में प्रस्ताव द्वारा दिए गए निदेशक मंडल की सहमति के अलावा एवं ऐसी शर्तों के अधीन जो निर्धारित की जा सकती हैं, कोई भी कंपनी किसी भी सामान या सामग्री की बिक्री, खरीद या आपूर्ति के संबंध में संबंधित पक्ष के साथ कोई अनुबंध या ऐसी व्यवस्था नहीं करेगी।

बशर्ते कि ऐसी कंपनी के मामले में कोई अनुबंध या व्यवस्था न हो, जिसकी चुकता शेयर पूंजी ऐसी राशि से कम न हो, या कंपनी (बोर्ड और उसकी शक्तियों की बैठक) नियम, 2014 के नियम 15 के तहत इस तरह की राशि से अधिक के लेनदेन को कंपनी के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रस्ताव द्वारा दर्ज किया जाएगा।

बशर्ते यह भी कि कंपनी का कोई भी सदस्य ऐसे किसी भी अनुबंध या व्यवस्था को मंजूरी देने के लिए ऐसे प्रस्ताव पर मतदान नहीं करेगा, जो कंपनी द्वारा किया जा सकता है, यदि ऐसा सदस्य संबंधित पक्ष है।

बशर्ते यह भी कि इस उप-धारा में किसी भी अन्य लेन-देन के अलावा कंपनी द्वारा अपने सामान्य व्यापार के दौरान किए गए किसी भी लेनदेन पर लागू नहीं होगा जो आर्म्स लेंथ के आधार पर नहीं हैं।

व्याख्या – इस उप-अनुभाग में, अभिव्यक्ति "आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन" का अर्थ दो संबंधित पक्षों के बीच ऐसे लेन-देन है जो इस तरह से आयोजित किया जाता है जैसे कि वे असंबंधित थे, ताकि उनके बीच हितों का टकराव न हो।

(2) उप-धारा (1) के तहत दर्ज किए गए प्रत्येक अनुबंध या व्यवस्था को ऐसे अनुबंध या व्यवस्था में प्रवेश करने के औचित्य के साथ शेयरधारकों को बोर्ड की रिपोर्ट में संदर्भित किया जाएगा।

(3) जहां किसी निदेशक या किसी अन्य कर्मचारी द्वारा उप-धारा (1) के तहत सामान्य बैठक में प्रस्ताव द्वारा बोर्ड की सहमति या अनुमोदन प्राप्त किए बिना कोई अनुबंध या व्यवस्था की जाती है, और यदि इस तरह के अनुबंध या व्यवस्था में प्रवेश करने की तारीख से तीन महीने के भीतर बोर्ड द्वारा या शेयरधारकों द्वारा बैठक में, जैसा भी मामला हो, इसकी पुष्टि नहीं की जाती है, तो ऐसा अनुबंध या व्यवस्था, जैसा भी मामला हो, बोर्ड या शेयरधारकों की ओर से अमान्य होगा तथा यदि अनुबंध या व्यवस्था किसी निदेशक से संबंधित पक्ष के साथ है, या किसी अन्य निदेशक द्वारा अधिकृत है, तो संबंधित निदेशक कंपनी को उसके द्वारा किए गए किसी भी नुकसान हेतु क्षतिपूर्ति करेंगे।

(4) उप-धारा (3) में निहित किसी भी तथ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कंपनी के पास ऐसे निदेशक या किसी अन्य कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करने का विकल्प होगा, जिसने इस तरह के अनुबंध या व्यवस्था के परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी हानि की वसूली के लिए इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए इस तरह के अनुबंध या व्यवस्था में प्रवेश किया था।

(5) किसी कंपनी का कोई निदेशक या कोई अन्य कर्मचारी, जिसने इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अनुबंध या व्यवस्था में प्रवेश किया था या अधिकृत किया था, वह -

- (i) सूचीबद्ध कंपनी के मामले में, पच्चीस लाख रुपये के जुर्माने हेतु उत्तरदायी होंगे तथा
- (ii) किसी अन्य कंपनी के मामले में, पांच लाख रुपये के जुर्माने हेतु उत्तरदायी होंगे।

**2.7** दी गई स्थिति में, एक्सवाईजेड लिमिटेड असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी है जिसमें सूचीबद्ध कंपनी सीडीई लिमिटेड का 50% इक्विटी शेयर है। सीडीई लिमिटेड ने अपने दो निदेशकों को एक्सवाईजेड लिमिटेड का निदेशक भी नियुक्त किया है। एक्सवाईजेड लिमिटेड ने सीडीई लिमिटेड हेतु अनुबंध निर्माण (कॉन्ट्रैक्ट मैनुफैक्चरिंग) शुरू कर दिया है तथा इसके लिए औपचारिक समझौता किया जा रहा है जिसमें उत्पादन हेतु सभी कच्चे माल/पार्ट्स की खरीद एवं आपूर्ति सीडीई लिमिटेड द्वारा एक्सवाईजेड लिमिटेड को की जाएगी। इसके अलावा, एक्सवाईजेड लिमिटेड कच्चे माल/पार्ट्स, मजदूरी एवं स्टोर/उपभोज्य की प्रचलित लागत के आधार पर अनुमानित लागत शीट तैयार करेगा तथा सीडीई लिमिटेड द्वारा प्रत्येक वर्ष इसका अग्रिम रूप से अनुमोदन किया जाएगा। एक्सवाईजेड लिमिटेड को इसकी अनुबंध रसीद के रूप में उत्पादन लागत का 30% दिया जाएगा। उपरोक्त को देखते हुए, यह कहा जा सकता है कि एक्सवाईजेड लिमिटेड एवं सीडीई लिमिटेड का संबंध सहयोगी कंपनी का है।

इंड-एएस 24, "संबंधित पक्ष प्रकटीकरण", हेतु अनिवार्य है कि प्रकटीकरण को अलग से निर्धारित श्रेणियां जैसे कि पैरेंट; इकाई का संयुक्त नियंत्रण या उस पर महत्वपूर्ण प्रभाव वाली संस्थाएं; सहायक कंपनियां; सहयोगी; संयुक्त उद्यम जिसमें संस्था संयुक्त उद्यमकर्ता है;

#### 14 फाइनल (नई) परीक्षा: दिसंबर, 2021 (FINAL (NEW) EXAMINATION: DECEMBER, 2021)

इकाई या उसके पैरेंट कंपनी के प्रमुख प्रबंधन कर्मी; तथा अन्य संबंधित पक्ष के रूप में किया जाए।

इंड-एएस 24 संबंधित पक्ष के प्रकटीकरण के अनुसार, यदि वित्तीय विवरणों द्वारा कवर की गई अवधि के दौरान किसी संस्था का संबंधित पक्ष लेनदेन होता है, तो यह संबंधित पक्ष संबंधों की प्रकृति के साथ-साथ उन लेनदेन और बकाया शेष राशि के बारे में जानकारी का खुलासा करेगा, जिसमें वित्तीय विवरणों पर संबंधों के संभावित प्रभाव को समझने हेतु उपयोगकर्ताओं के लिए आवश्यक प्रतिबद्धताएं शामिल हैं। **प्रकटीकरण में कम से कम शामिल होना चाहिए:**

(क) लेनदेन की राशि।

(ख) बकाया राशि, प्रतिबद्धताओं सहित, और:

- (i) उनकी नियम एवं शर्तें, जिसमें वे सुरक्षित हैं या नहीं, तथा निपटान में प्रदान किए जाने वाले प्रतिफल की प्रकृति भी शामिल है; तथा
- (ii) दी गई या प्राप्त की गई किसी गारंटी का विवरण।

इसके अलावा, लेन-देन के उदाहरण जिनका प्रकटीकरण किया जाता है यदि वे संबंधित पक्ष के साथ हैं तो इसमें सामान की खरीद या बिक्री (पूर्ण या आंशिक) शामिल है; संपत्ति व अन्य संपत्तियों की खरीद या बिक्री; सेवाएं प्रदान करना या प्राप्त करना; पट्टे; यदि भविष्य में कोई विशेष घटना घटित होती है या नहीं होती है, तो कुछ करने की प्रतिबद्धता, जिसमें निष्पादन अनुबंध (मान्यता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त नहीं); संस्था की ओर से या उस संबंधित पक्ष की ओर से संस्था द्वारा देनदारियों का निपटान आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, प्रकटीकरण कि संबंधित पक्ष लेनदेन उन शर्तों के अनुसार किए गए थे जो आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन में प्रचलित थे, तथा केवल तभी किए जाते हैं जब ऐसी शर्तों की पुष्टि की जा सकती है।

दी गई स्थिति में, लेखा परीक्षक को यह सत्यापित करना अनिवार्य है कि क्या शेयरधारिता का उचित रूप से प्रकटीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा, पुरानी मशीनरी के प्रतिस्थापन हेतु उपयोग किए गए 2,00,00,000 रुपये की आपूर्ति के खिलाफ अग्रिम की प्राप्ति एवं उक्त अग्रिम के खिलाफ सीडीई लिमिटेड को कोई आपूर्ति नहीं की गई, आईएनडी-एएस 24 के अनुसार खुलासा किया गया है।

लेखा परीक्षक को यह सत्यापित करने की भी आवश्यकता है कि एक्सवाइजेड लिमिटेड द्वारा सीडीई लिमिटेड के निर्देश पर पूरा किया गया निर्यात आदेश आर्म्स लेंथ पर प्रचलित है।

इसके अलावा, सीआईटी (अपील) के समक्ष लंबित अपील के मामले में, लेखा परीक्षक को भी आकलन करना होगा तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि आकस्मिक देनदारियों का प्रकटीकरण आईएनडी-एएस 37 के अनुसार है।

एक्सवाईजेड लिमिटेड तथा सीडीई लिमिटेड के बीच अधिक लेनदेन को देखते हुए, वैधानिक लेखा परीक्षक को उन लेनदेन के संबंध में टीडीएस तथा जीएसटी अनुपालन को सत्यापित करना होगा।

- 2.8** निर्धारण अधिकारी ने कंपनी (वर्तमान मामले में एक्सवाईजेड लिमिटेड) द्वारा दावा किए गए संयंत्र एवं मशीनरी पर मूल्यहास की अनुमति इस आधार पर दी है कि मूल्यहास का दावा करने हेतु पक्षों द्वारा दुर्भावना से अनुबंध निर्माण (कॉन्ट्रैक्ट मैनुफैक्चरिंग) की व्यवस्था की गई है जबकि व्यवस्था का सार पूरे प्लांट को लीज पर देने के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मौजूदा मामले में, एक्सवाईजेड लिमिटेड पहले पिस्टन की मैनुफैक्चरिंग कर रहा था और इसे सीडीई लिमिटेड को बेच रहा था। हालांकि, 1.4.2017 से इसने कॉन्ट्रैक्ट मैनुफैक्चरिंग हेतु सीडीई लिमिटेड के साथ एक समझौता किया था। समझौते के अनुसार, सीडीई लिमिटेड द्वारा कच्चे माल/पार्ट्स प्रदान किए जाते हैं और एक्सवाईजेड लिमिटेड उन कच्चे माल को अपने संयंत्र एवं मशीनरी में संसाधित कर रहा है और सीडीई लिमिटेड को वापस दे रहा है। समझौते में पट्टे का कोई खंड सम्मिलित नहीं है।

धारा 32 इसके तहत मूल्यहास के दावे हेतु शर्तों के रूप में "स्वामित्व" तथा "व्यवसाय के लिए उपयोग" की दोहरी आवश्यकता को लागू करती है। जहां तक संपत्ति के उपयोग का संबंध है, इस अनुभाग के अनुसार आवश्यक है कि परिसंपत्ति का उपयोग व्यवसाय के दौरान किया जाना चाहिए। यह स्वयं निर्धारित द्वारा वास्तविक उपयोग को अनिवार्य नहीं करता है।

एक्सवाईजेड लिमिटेड संयंत्र तथा मशीनरी के संबंध में मूल्यहास का दावा करने का हकदार है क्योंकि यह संयंत्र और मशीनरी का एकमात्र कानूनी मालिक है तथा इस तरह के संयंत्र का उपयोग अपने व्यवसाय यानी कॉन्ट्रैक्ट मैनुफैक्चरिंग के उद्देश्य से कर रहा है।

तदनुसार, एक्सवाईजेड लिमिटेड द्वारा दावा किए गए मूल्यहास को अस्वीकार करने तथा "व्यवसाय या पेशे के लाभ और मुनाफे" के बजाय "घरेलू संपत्ति से आय" के तहत आय का आकलन करने की मूल्यांकन अधिकारी की दलीलें उचित नहीं हैं।

### **केस स्टडी - 3**

#### **मामले से संबंधित तथ्य**

1. मिस्टर एचपीआर और मिस्टर एनपीआर एनिमेशन कोर्स में बैच मेट थे। अपने कोर्स के अंतिम चरण की तैयारी के दौरान, दोनों हरियाणा में एनिमेशन हेतु एक संयुक्त स्टूडियो स्थापित करने पर सहमत हुए।
2. अपना कोर्स पूरा करने तथा बहुत विचार-विमर्श के पश्चात्, दोनों ने सीमित देयता भागीदारी करने का फैसला किया। फर्म का मुख्य उद्देश्य विज्ञापन एवं प्रचार, जनसंचार, ग्राफिक डिजाइनिंग तथा एग्जिबिशन डिजाइनिंग एनिमेशन (2डी/3डी), विज्ञापन हेतु फोटोग्राफी और विज्ञापनदाता, प्रकाशक के रूप में व्यवसाय करना तथा ऐसे सभी काम करने का निर्णय लिया गया था जो विज्ञापन के आधुनिक तरीकों, निर्यात बाजार सहित मार्केटिंग एवं फिल्मों की

## 16 फाइनल (नई) परीक्षा: दिसंबर, 2021 (FINAL (NEW) EXAMINATION: DECEMBER, 2021)

शूटिंग के लिए पूरी तरह से सुसज्जित स्टूडियो की स्थापना तथा ऐसे अन्य व्यवसाय जो इसके दायरे में आते हैं, जिन पर साझेदार समय-समय पर सर्वसम्मति से सहमत हो सकते हैं।

3. 20-08-2018 को मैसर्स एचपीएनआर एलएलपी नाम से एक सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) को निगमित किया गया था। श्री एचपीआर तथा श्री एनपीआर दोनों को 'नामित भागीदार' घोषित किया गया था। दोनों में से प्रत्येक का मासिक पारिश्रमिक ₹1,00,000 प्रति माह निर्धारित किया गया था।
4. दोनों भागीदारों में से प्रत्येक ने 25 लाख रुपये की निश्चित पूंजी का योगदान दिया। बैंक खाता एलएलपी के नाम से खोला गया था तथा 1000 वर्ग फुट के एक कॉमर्शियल स्पेस को एलएलपी द्वारा लीज पर लिया गया था।
5. 3डी एनिमेशन बनाने हेतु उच्च गुणवत्ता वाले कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम तथा सॉफ्टवेयर में दोनों द्वारा योगदान की गई पूंजी का निवेश किया गया था। एलएलपी ने दो तकनीकी कर्मचारियों को ₹35,000 प्रत्येक के मासिक पारिश्रमिक पर नियुक्त किया। उन्होंने स्वयं फर्म हेतु ₹2,50,000 के अनुमानित व्यय से एक वेबसाइट बनवाई।
6. नामित भागीदार में से एक श्री एचपीआर ने फर्म के भागीदारों के साथ-साथ कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक असाइनमेंट हेतु आवंटित समय तथा खर्च किए गए समय के लिए एक तालिका बनाए रखने हेतु एक एक्सेल शीट तैयार की।
7. चूंकि शुरू में फर्म के पास कोई असाइनमेंट नहीं था, इसलिए मैन पावर का उपयोग एनिमेटेड ऑब्जेक्ट बनाने हेतु करने का निर्णय लिया गया, जिसे खरीदारों को बेचा जा सकता है या विशिष्ट ग्राहकों के एनीमेशन असाइनमेंट में इस्तेमाल किया जा सकता है।
8. दोनों भागीदारों द्वारा व्यक्तिगत संपर्कों के ज़रिए मार्केटिंग के पश्चात्, एक बड़ी हेल्थ केयर कंपनी से एक एनीमेशन फिल्म बनाने का उनसे अनुबंध किया। अनुबंध ₹25 लाख की राशि तथा लागू करों का था। फर्म ने जून, 2019 के महीने के दौरान असाइनमेंट पूरा किया और उसे क्लाइंट को सौंप दिया। क्लाइंट द्वारा उनके काम की बहुत सराहना की गई।
9. एनीमेशन फिल्म तैयार करने के दौरान, एलएलपी ने स्पेशल साउंड एवं विजुअल इफेक्ट्स के लिए व्यक्तिगत पेशवरों से कुछ ऑनलाइन डिजिटल एसेट तथा कुछ ऑनलाइन सर्विसेज़ खरीदीं। डिजिटल एसेट के साथ-साथ सेवाओं की ऑनलाइन खरीद हेतु भुगतान भागीदारों में से एक के क्रेडिट कार्ड के ज़रिए विदेशी मुद्रा में किया गया था।
10. अप्रैल, 2019 के महीने में, एचपीएनआर को एक अंतरराष्ट्रीय डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर कंपनी से दिसंबर, 2018 के महीने से एलएलपी द्वारा उचित लाइसेंस के बिना उनके सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का एक नोटिस मिला। हालांकि, एचपीएनआर ने दावा किया कि उसने केवल सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध सॉफ्टवेयर के फ्री वर्जन का उपयोग किया है। सॉफ्टवेयर कंपनी ने एलएलपी को उनके लाइसेंस की आधिकारिक प्रति खरीदने के साथ-साथ उनके सॉफ्टवेयर के अवैध उपयोग हेतु 5,00,000 रुपये का मुआवजा देने का नोटिस भेजा है। एलएलपी ने एक



**प्रश्न-पत्र-6च: बहु-अनुशासनात्मक केस स्टडी**  
(PAPER – 6F: MULTIDISCIPLINARY CASE STUDY)

17

वकील के ज़रिए सॉफ्टवेयर के अवैध उपयोग के प्रति किसी भी दायित्व से इनकार करते हुए अपना जवाब भेजा है। मामला अभी तक लंबित था।

**भाग- क**

**बहु विकल्पीय प्रश्न**

निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प प्रदान करें:

- 3.1 एलएलपी अधिनियम के तहत सीमित देयता भागीदारी को निगमित करने हेतु श्री एचपीआर और श्री एनपीआर द्वारा रजिस्ट्रार के पास निम्नलिखित फॉर्म जमा किया गया था:
- (क) एलएलपी फॉर्म -1
  - (ख) एलएलपी फॉर्म -2
  - (ग) एलएलपी फॉर्म -3
  - (घ) एलएलपी फॉर्म -4
- 3.2 मैसर्स एचपीएनआर निम्न से प्रभावी कर विदहोल्डिंग अनिवार्यताओं का अनुपालन करने का उत्तरदायी था
- (क) एलएलपी के निगमित होने के पहले दिन से।
  - (ख) जब से ₹20,000 से अधिक का लेनदेन निष्पादित किया गया था।
  - (ग) वर्ष के पहले दिन से अगले वर्ष जिसमें एलएलपी का टैक्स ऑडिट होगा।
  - (घ) मैसर्स एचपीएनआर स्रोत पर कर रोकने हेतु उत्तरदायी नहीं है।
- 3.3 मैसर्स एचपीएनआर पर लागू आयकर की दर होगी
- (क) स्लैब दर
  - (ख) 20%
  - (ग) 30%
  - (घ) 40%
- 3.4 मैसर्स एचपीएनआर द्वारा वेबसाइट को बनाने पर किया गया व्यय होना चाहिए:
- (क) अमूर्त व्यय के रूप में पूंजीकृत।
  - (ख) लाभ तथा हानि खाते में चार्ज किया गया।
  - (ग) 5 वर्ष की अवधि में लाभ और हानि से चार्ज किया गया।
  - (घ) पीपीई के हिस्से के रूप में पूंजीकृत।
- 3.5 अंतरराष्ट्रीय डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा ₹5,00,000 के मुआवजे का दावा करने वाले कानूनी नोटिस के संबंध में, मैसर्स एचपीएनआर को यह करना होगा:
- (क) खाताबही में राशि का प्रावधान करना।
  - (ख) इस स्तर पर केवल इसी आकस्मिक देयता का प्रकटीकरण करना।
  - (ग) मांगे गए मुआवजे के कम से कम 50% का प्रावधान करना।
  - (घ) इस स्तर पर न तो कोई प्रावधान करना और न ही कोई प्रकटीकरण करना। (2x5=10अंक)

**भाग-ख**

**18 फाइनल (नई) परीक्षा: दिसंबर, 2021 (FINAL (NEW) EXAMINATION: DECEMBER, 2021)**

**वर्णनात्मक प्रश्न**

3.6 एचपीएनआर के प्रबंधन ने आपसे यह तय करने में मदद करने हेतु संपर्क किया है कि फर्म द्वारा बनाई गई एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स को खाताबही में कैसे दर्शाया जाएगा तथा 31-03-2019 को इसे दर्शाने के लिए उनका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा? **(5 अंक)**

3.7 आपसे यह भी स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है कि क्या फर्म द्वारा स्पेशल साउंड एवं विजुअल इफेक्ट्स के लिए ऑनलाइन डिजिटल एसेट तथा कुछ ऑनलाइन सर्विसेज़ हेतु कंपनी द्वारा किए गए भुगतान के संबंध में एचपीएनआर द्वारा स्रोत पर किसी कर की कटौती की आवश्यकता है? **(5 अंक)**

3.8 क्या खरीदी गई ऑनलाइन डिजिटल संपत्तियों तथा प्राप्त की गई ऑनलाइन सेवाओं के संबंध में कोई जीएसटी अनुपात केस स्टडी 3 का उत्तर

**भाग - क**

3.1 (ख)

3.2 दिए गए विकल्पों में से कोई भी सही नहीं है।

3.3 (ग)

3.4 (क)

3.5 (घ)

**भाग - ख**

3.6 एनिमेशन ऑब्जेक्ट बनाए तथा खरीदार बेचे जाते हैं: इंड एस 2 के पैराग्राफ 6 में इन्वेंट्री को संपत्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो-

(क) व्यापार के सामान्य कार्य में बिक्री हेतु धारण की गई है;

(ख) ऐसी बिक्री हेतु उत्पादन की प्रक्रिया में; या

(ग) उत्पादन प्रक्रिया में या सेवाओं के प्रतिपादन में उपभोग की जाने वाली सामग्री या आपूर्ति के रूप में।

चूंकि एनिमेटेड ऑब्जेक्ट को बिक्री के लिए रखा गया है, इसलिए एनिमेटेड ऑब्जेक्ट को इन्वेंट्री माना जाएगा।

इंड एस 2 के पैराग्राफ 9 में कहा गया है कि इन्वेंट्री को कम लागत एवं शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर मापा जाएगा।

इसलिए, एनिमेटेड ऑब्जेक्ट को कम लागत एवं शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर मापा जाएगा।

इसके अलावा, लागत में उन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली जनशक्ति की लागत भी शामिल होगी।

3.7 एचपीएनआर एलएलपी ने स्पेशल साउंड एवं विजुअल इफेक्ट्स के लिए व्यक्तिगत पेशेवरों से कुछ ऑनलाइन डिजिटल संपत्ति तथा कुछ ऑनलाइन सेवाएं खरीदीं। यदि ऑनलाइन डिजिटल संपत्ति को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर माना जाता है, तो उसके संबंध में किया गया भुगतान रॉयल्टी होगा, क्योंकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के अधिकार के हस्तांतरण हेतु प्रतिफल का

भुगतान किया जाता है। स्पेशल साउंड एवं विजुअल इफेक्ट्स के लिए व्यक्तिगत पेशेवरों से ऑनलाइन सेवाओं हेतु भुगतान तकनीकी सेवाओं (एफटीएस) के लिए शुल्क के दायरे में आएगा चाहे ऐसी सेवाएं भारत में प्रदान की जाती हैं या नहीं की जाती हैं।

धारा 9(1)(vi) के अनुसार, भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा देय रॉयल्टी अनिवासी प्राप्तकर्ता के द्वारा भारत में अर्जित या उत्पन्न मानी जाएगी, क्योंकि रॉयल्टी का भुगतान भारत में बाहर किए गए व्यवसाय के संबंध में किया जाता है। इसी तरह, धारा 9(1)(vii) के अनुसार, भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा देय एफटीएस को अनिवासी प्राप्तकर्ता द्वारा भारत में अर्जित या उत्पन्न माना जाएगा, चूंकि एफटीएस का भुगतान भारत में किए गए कारोबार के संबंध में किया जाता है।

इस प्रकार, ऑनलाइन डिजिटल संपत्ति एवं ऑनलाइन सेवाओं के लिए किए गए भुगतान अनिवासियों पर कर योग्य होंगे। तदनुसार, एचपीएनआर धारा 195 के तहत ऐसे भुगतानों पर स्रोत पर कर कटौती हेतु उत्तरदायी होगा।

**3.8 ऑनलाइन डिजिटल परिसंपत्तियों तथा ऑनलाइन सेवाओं की आपूर्ति ऑनलाइन सूचना एवं डेटाबेस एक्सेस या रिट्रीवल (ओआईडीएआर) सेवाओं की आपूर्ति के रूप में योग्य है।**

दिए गए मामले में, चूंकि खरीदी गई ऑनलाइन डिजिटल संपत्तियों तथा प्राप्त ऑनलाइन सेवाओं हेतु भुगतान विदेशी मुद्रा में किया गया था, इसलिए यह माना गया है कि उक्त सेवाओं का आपूर्तिकर्ता भारत से बाहर स्थित है। सेवाओं का प्राप्तकर्ता, एचपीएनआर एलएलपी, भारत में स्थित है।

ऐसे मामले में जहां ओआईडीएआर सेवा का आपूर्तिकर्ता भारत के बाहर स्थित है तथा प्राप्तकर्ता भारत में स्थित है, आपूर्ति का स्थान उक्त सेवाओं के प्राप्तकर्ता का स्थान होगा अर्थात् भारत।

इसके अलावा, कर योग्य क्षेत्र में स्थित किसी भी व्यवसाय इकाई को गैर-कर योग्य क्षेत्र में स्थित किसी भी व्यक्ति द्वारा आपूर्ति की गई सेवा की आपूर्ति पर कर ऐसी सेवा के प्राप्तकर्ता द्वारा रिवर्स चार्ज के तहत देय है।

चूंकि दिए गए मामले में, ओआईडीएआर सेवाओं को एचपीएनआर एलएलपी (एक व्यावसायिक इकाई होने के नाते) द्वारा व्यक्तिगत पेशेवरों (भारत से बाहर स्थित) से आयात किया गया है, इसलिए ऐसी सेवाओं पर कर रिवर्स चार्ज के तहत एचपीएनआर एलएलपी द्वारा देय है। इस प्रकार, एचपीएनआर एलएलपी को आवश्यक अनुपालन करने की आवश्यकता है।

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 24 में प्रावधान है कि, जिन व्यक्तियों को रिवर्स चार्ज के तहत आवक आपूर्ति पर कर का भुगतान करना आवश्यक है, उनके कुल कारोबार की मात्रा के

---

यह माना गया है कि ऑनलाइन डिजिटल परिसंपत्तियों की डिजिटली इंटरनेट / इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा मध्यस्थता की जाती है

## 20 फाइनल (नई) परीक्षा: दिसंबर, 2021 (FINAL (NEW) EXAMINATION: DECEMBER, 2021)

बावजूद अनिवार्य रूप से पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक है। तदनुसार, एचपीएनआर एलएलपी को जीएसटी के तहत अनिवार्य पंजीकरण प्राप्त करना होगा।<sup>4</sup>

यदि ऑनलाइन डिजिटल संपत्ति एवं ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग भारत के बाहर निर्यात किए गए एनिमेशन प्रोडक्ट के लिए किया जाता है, तो एचपीएनआर एलएलपी को अनिवार्य रूप से पंजीकृत करने की आवश्यकता अपरिवर्तित रहेगी।

सेवाओं के निर्यात के मामले में, निर्यातक - एचपीएनआर एलएलपी - के पास विकल्प होगा:

(i) या तो निर्यात की गई सेवाओं पर आईजीएसटी का भुगतान करने तथा भुगतान किए गए ऐसे आईजीएसटी की वापसी का दावा करने

या

(ii) आईजीएसटी के भुगतान के बिना बांड / अंडरटेकिंग के तहत ऐसी सेवाओं का निर्यात करने तथा आईटीसी की वापसी का दावा करने।

### केस स्टडी - 4

#### मामले से संबंधित तथ्य

- डिफेंस इनोवेटर्स लिमिटेड एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है तथा युद्धपोतों एवं पनडुब्बियों की मैन्युफैक्चरिंग करता है।
  - एक्सवार्डजेड प्राइवेट लिमिटेड ने अपने लिए "विशेष रूप से डिजाइन" पोत के निर्माण हेतु डिफेंस इनोवेटर्स लिमिटेड से संपर्क किया, जिसका उपयोग एक्सवार्डजेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विशिष्ट सामानों के परिवहन के लिए किया जाएगा।
  - इस प्रस्ताव को डिफेंस इनोवेटर्स लिमिटेड ने स्वीकार कर लिया तथा दोनों कंपनियों ने विशेष रूप से डिजाइन किए गए 3 पोत के निर्माण एवं वितरण हेतु एक समझौता किया।
  - डिफेंस इनोवेटर्स लिमिटेड ने कुछ वस्तुओं के संबंध में परिवर्तनीय घटक के साथ 'निश्चित मूल्य' के आधार पर 3 पोतों के निर्माण पर सहमति व्यक्त की है।
- (i) अनुबंध मूल्य का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	लागत मद	पहला पोत	दूसरा पोत	तीसरा पोत	कुल
(क)	निश्चित लागत मद	XXX	XXX	XXX	XXX
(ख)	परिवर्तनीय लागत मद	XXX	XXX	XXX	XXX
(ग)	बेस एवं डिपो (बी एंड डी) स्पेयर (बजटीय)				XXX
(घ)	कुल योग (ए+बी+सी)				XXXX

<sup>4</sup>यह मान लिया गया है कि एचपीएनआर एलएलपी जीएसटी के तहत पंजीकृत नहीं है क्योंकि इससे संबंधित किसी भी स्पष्ट जानकारी के अभाव में।

**नोट:** उपरोक्त लागत में पोत (पोतों) की डिलीवरी के समय लागू शुल्क एवं अन्य वैधानिक शुल्क शामिल नहीं हैं तथा इसका भुगतान वास्तविक रूप से किया जाएगा।

(ii) भुगतान की शर्तें:

(क) निश्चित मूल्य घटक:

खरीदार द्वारा भुगतान विशेष चरण के पूरा होने पर किया जाएगा।

(ख) परिवर्तनीय मूल्य घटक:

भुगतान दस्तावेजी साक्ष्य के मुकाबले लाभ के % के साथ वास्तविक रूप से किया जाएगा।

(ग) अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के 10 दिनों के भीतर नकद में 5 लाख रुपये का अग्रिम।

5. तीनों पोतों का बेस एवं डिपो (बी एंड डी) स्पेयर्स डिफेंस इनोवेटर्स लिमिटेड द्वारा खरीदे जाएंगे तथा कुछ प्रतिशत पर आइटम की कीमत का भुगतान किया जाएगा।

6. अनुबंध में कहा गया है कि परिवर्तनीय लागत मदों में से "कुछ उपकरण", पोत के बोर्ड पर स्थापना हेतु एक्सवाईजेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 'मुफ्त' पर आपूर्ति की जाएगी। इसलिए, इसे निम्नानुसार उल्लेखित किया जाना चाहिए:

(i) कुछ उपकरण डिफेंस इनोवेटर्स लिमिटेड द्वारा तकनीकी जांच के साथ-साथ कीमतों पर बातचीत हेतु एक्सवाईजेड प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि की मौजूदगी में खरीदे जाते हैं। इन उपकरणों के विक्रेताओं को डिफेंस इनोवेटर्स लिमिटेड द्वारा भुगतान किया जाता है। उपकरण की लागत के साथ स्थापना की लागत तथा उस पर लाभ का दावा किया जाता है तथा एक्सवाईजेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डिफेंस इनोवेटर्स लिमिटेड को प्रतिपूर्ति की जाती है।

(ii) तथा कुछ अन्य उपकरण भी हैं जिनके लिए सीधे ऑर्डर दिए जाते हैं और एक्सवाईजेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भुगतान भी किया जाता है। इन उपकरणों को 'क्रेता सुसज्जित उपकरण (बीएफई)' के रूप में जाना जाता है तथा पोत में स्थापित करने हेतु कंपनी को 'निःशुल्क' डिलिवर किया जाता है। इनकी स्थापना की श्रम लागत पहले से ही अनुबंध के मूल्य घटक में शामिल है।

7. एक पोत के निर्माण हेतु आवश्यक अवधि लगभग चार वर्ष थी।

#### भाग-क

##### बहु विकल्पीय प्रश्न:

4.1 डिफेंस इनोवेटर्स लिमिटेड के लिए, पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप उद्यम द्वारा नियंत्रित संसाधन, जिससे उद्यम को भविष्य के आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है, निम्न के रूप में जाना जाता है:

(क) संपत्ति

(ख) आय

(ग) देयता

**22 फाइनल (नई) परीक्षा: दिसंबर, 2021 (FINAL (NEW) EXAMINATION: DECEMBER, 2021)**

(घ) नकदी प्रवाह अनुमान

4.2 डिफेंस इनोवेटर्स लिमिटेड के मामले में, उस मूल्य का निर्धारण करने हेतु जिस पर इन्वेंट्री को वित्तीय विवरणों में दर्शाया जाता है, जिसमें इन्वेंट्री की लागत का पता लगाना एवं शुद्ध वसूली योग्य मूल्य हेतु कोई भी राइट-डाउन शामिल है, कंपनी को निम्नलिखित पर विचार करने की आवश्यकता है:

(क) एस-1

(ख) एस-2

(ग) एस-3

(घ) एस-7

4.3 ₹5 लाख के अग्रिम भुगतान के संदर्भ में, डिफेंस इनोवेटर्स लिमिटेड को निम्नलिखित के तहत टैक्स ऑडिट फॉर्म 3 सीडी में इसकी रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा:

(क) धारा 269एस8

(ख) धारा 269एसटी

(ग) धारा 269टी

(घ) रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है

4.4 अग्रिम नकद में प्राप्त करने के लिए, डिफेंस इनोवेटर्स लिमिटेड आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कितने के दंड हेतु उत्तरदायी होगा:

(क) ₹5 लाख

(ख) ₹2.5 लाख

(ग) ₹50,000

(घ) इस मामले में कोई जुर्माना नहीं

4.5 सीजीएसटी अधिनियम के तहत, कोई पंजीकृत व्यक्ति कर के भुगतान के बिना किसी भी इनपुट या पूंजीगत माल को जॉब वर्क हेतु भेज सकता है तथा वापस ला सकता है:

(क) कर के भुगतान के बिना

(ख) कर के भुगतान के साथ

(ग) न तो (क) और न ही (ख) के अनुसार

(घ) (क) और (ख) दोनों के अनुसार

(2 x 5 = 10 अंक)

**भाग-ख**

**वर्णनात्मक प्रश्न:**

4.6 क्या एक्सवॉइज्ड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डिफेंस इनोवेटर्स लिमिटेड को पोत में स्थापित करने हेतु क्रेता सुसज्जित

4.7 डिफेंस इनोवेटर्स लिमिटेड द्वारा जीएसटी अधिनियम के तहत बीएफई से कैसे निपटा जाएगा, जब यह निश्चित है कि इन्हें एक्सवॉइज्ड प्राइवेट लिमिटेड को वापस नहीं भेजा जाएगा, जब तक कि निर्मित पोतों को वितरित नहीं किया जाता है? विस्तार से व्याख्या करें। (8 अंक)

केस स्टडी 4 का उत्तर

भाग - क

4.1 (क)

4.2 (ख)

4.3 (ख)

4.4 (क)

4.5 दिए गए विकल्पों में से कोई भी सही नहीं है।

भाग - ख

4.6 यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि किसी भी वस्तु को इन्वेंट्री मानने से पहले, उसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति हेतु ढांचे में दी गई 'परिसंपत्ति' की परिभाषा को पूरा करना चाहिए, जो इस प्रकार है:

"परिसंपत्ति पिछले घटनाओं के परिणामस्वरूप इकाई द्वारा नियंत्रित एक संसाधन है तथा जिससे भविष्य के आर्थिक लाभ इकाई को दिए जाने की उम्मीद है"।

क्रेता सुसज्जित उपकरण (बीएफई) के संबंध में ऑर्डर सीधे खरीदार द्वारा दिए जाते हैं तथा उनके संबंध में भुगतान भी खरीदार द्वारा किया जाता है। फिर इन्हें पोत में स्थापित करने हेतु कंपनी को आपूर्ति किया जाता है तथा खरीदार स्थापना शुल्क का भुगतान करता है जो अनुबंध मूल्य में शामिल होता है। इस प्रकार, कंपनी ने न तो बीएफई पर कोई लागत खर्च की है तथा न ही स्थापना शुल्क को छोड़कर ऐसे उपकरणों के कारण कोई राशि वसूली योग्य है। तदनुसार, ऐसे उपकरण 'परिसंपत्ति' नहीं हैं जिन्हें इसके अनुबंध कार्य-प्रगति के भाग के रूप में माना जा सकता है।

वास्तव में, पोत में स्थापना के बाद, पोत के पूरा होने के बाद बीएफई को खरीदार को वापस कर दिया जाता है। इस प्रकार, ये केवल कंपनी द्वारा अमानतदार की क्षमता में रखे जाते हैं। चूंकि, इसे 'संपत्ति' नहीं माना जा सकता है, इसलिए इसे न तो 'इन्वेंट्री' माना जा सकता है तथा न ही 'कार्य-प्रगति' के रूप में।

इसके अलावा, इसे कंपनी के बिक्री मूल्य या राजस्व के हिस्से के रूप में भी नहीं माना जा सकता है क्योंकि ऐसे उपकरणों की लागत के संबंध में कोई प्रतिफल प्राप्य नहीं होगा।

4.7 सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 15(2)(ख) के अनुसार, आपूर्ति के मूल्य में ऐसी कोई भी राशि शामिल होगी जो आपूर्तिकर्ता ऐसी आपूर्ति के संबंध में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन जो आपूर्ति के प्राप्तकर्ता द्वारा किया गया है तथा माल या सेवाओं या दोनों हेतु वास्तव में भुगतान या देय मूल्य में शामिल नहीं है।

इसके अलावा, सीबीआईसी ने परिपत्र संख्या 47/21/2018 जीएसटी दिनांक 08.06.2018 के माध्यम से स्पष्ट किया है कि चूंकि मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) के स्वामित्व वाले मोल्ड एवं डाई का उपयोग करके घटक निर्माता द्वारा की गई आपूर्ति के मूल्य की गणना करते समय उसे मुफ्त (एफओसी) भेजा गया है, ऐसे मोल्ड एवं डाई का मूल्य उसके द्वारा की गई आपूर्ति के मूल्य में नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि मोल्ड/डाई की लागत घटक निर्माता द्वारा

## 24 फाइनल (नई) परीक्षा: दिसंबर, 2021 (FINAL (NEW) EXAMINATION: DECEMBER, 2021)

वहन नहीं की जानी थी तथा इस प्रकार, धारा 15(2)(बी) के अनुसार आपूर्ति के मूल्य में शामिल किए जाने के योग्य नहीं है।

हालाँकि, यदि ओईएम और घटक निर्माता के बीच अनुबंध घटक निर्माता से संबंधित मोल्ड / डाई का उपयोग करके बनाए गए घटकों की आपूर्ति हेतु था, लेकिन ओईएम द्वारा घटक निर्माता को एफओसी आधार पर आपूर्ति की गई है, तो इस तरह की परिशोधन लागत मोल्ड / डाई को घटकों के मूल्य में जोड़ा जाएगा।

दिए गए मामले में, आपूर्तिकर्ता - डिफेंस इनोवेटर्स लिमिटेड एवं प्राप्तकर्ता - एक्सवाईजेड प्राइवेट लिमिटेड के बीच अनुबंध की शर्तों के अनुसार, आपूर्तिकर्ता को "क्रेता सुसज्जित उपकरण (बीएफई)" की मुफ्त में आपूर्ति करने की जिम्मेदारी प्राप्तकर्ता की है।

इस प्रकार, बीएफई के मूल्य को इसके द्वारा आपूर्ति किए गए पोट के मूल्य में शामिल नहीं किया जाएगा।

### केस स्टडी - 5

#### आपके बारे में

आप एक खुले मस्तिष्क वाले, अत्यधिक समझदार, सक्षम एवं मूल्यवर्धित; तथा निर्णयन की क्षमता रखने वाले पेशेवर हैं। आप कई सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध संस्थाओं के बोर्ड के निदेशक, अध्यक्ष और/या बोर्ड की समितियों के सदस्य भी हैं। आप पेशेवर निदेशक के रूप में एसएफ लिमिटेड (एसएफएल) के बोर्ड में भी हैं।

#### एसएफएल की पृष्ठभूमि

किसी भी व्यवसाय के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है कि वह बदलते व्यावसायिक परिदृश्य के अनुरूप अपनी व्यावसायिक रणनीतियों तथा योजनाओं को अद्यतन (अपडेट) करता रहे। आधुनिक बाजार व्यवस्था में, औसत दर्जे का कोई स्थान नहीं है। यह नियम सभी सेक्टर पर लागू होता है, चाहे वह लघु उद्योग हो या बृहद उद्योग। एसएफएल एसएफ ग्रुप ऑफ कंपनीज से संबंधित एक ऐसा छोटे पैमाने पर बढ़ता उद्यम है, जिसमें सूचीबद्ध एवं गैर-सूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड / विभिन्न व्यवसायों में कार्यरत प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां सहित कई कंपनियां हैं।

एसएफएल ऑटोमोबाइल तथा ट्रैक्टरों के लिए औद्योगिक इंजन, निर्माण उपकरण तथा बिजली उत्पादन उपकरण हेतु एप्लिकेबल कास्टिंग का निर्माण करती है। यह विविध खंडों की मुश्किल आवश्यकता को पूरा करता है। यह रक्षा एप्लिकेशन के असाधारण उच्च मानकों को भी पूरा करता है। संगठन को संचालित करने वाली स्वदेशी विशेषज्ञता इसे बाजार की लगातार बदलती आवश्यकताओं के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम बनाती है।

इसने आईएसओ 9000, क्यूएस 9000 एवं आईएसओ 14001 प्रमाणपत्रों सहित बहुप्रतीक्षित गुणवत्ता प्रमाणपत्र जीते हैं जो इसकी क्षमता को दर्शाते हैं।

#### प्रबंधन का अवलोकन

एसएफएल का शीर्ष प्रबंधन अत्यधिक सक्षम निदेशक मंडल द्वारा संचालित है। बोर्ड सभी प्रमुख निर्णय लेने के अलावा व्यावसायिक योजनाओं, संचालन, निवेश तथा वित्तपोषण गतिविधियों की



देखरेख करता है। बोर्ड को श्री शेषाद्री, विशेष निदेशक (लागत एवं वित्त) का समर्थन प्राप्त है, जिन्हें दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों की गहन जानकारी है।

**कॉर्पोरेट कल्चर**

हालांकि कंपनी ऐतिहासिक रूप से बोर्ड द्वारा प्रबंधित है, फिर भी, यह सभी के साथ विकास के सिद्धांत में विश्वास करती है। एसएफएल सभी हितधारकों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाती है तथा समाज, पर्यावरण और कार्यबल को लेकर वैसे ही प्रतिबद्ध है। एसएफएल सीएसआर गतिविधियों पर औसतन ₹5 लाख खर्च करता है जो कि हर वर्ष का स्वीकृत बजट है।

**बजट का अवलोकन**

कंपनी के कुशल कामकाज तथा कंपनी में दिन-प्रतिदिन क्या हो रहा है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु बोर्ड द्वारा बजट निर्धारित किया जाता है जिसे विभिन्न टीमों को दिया जाता है तथा किसी भी प्रतिकूल स्थिति के मामले में उपचारात्मक कार्रवाई करने हेतु वास्तविक व्यय की नियमित बजट के साथ तुलना की जाती है। पहले के वर्षों की तुलना में, यह पाया गया कि हाल ही में, बजट एवं वास्तविक व्यय के बीच का अंतर बढ़ रहा है तथा यह शीर्ष प्रबंधन के लिए चिंता का विषय बन गया है। इन परिस्थितियों में, इस बात पर बल दिया गया था कि कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी को बजटीय प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए तथा प्रत्येक प्रबंधक को अपने लक्ष्य निर्धारित करने तथा कंपनी हेतु लक्ष्य निर्धारित करने के लिए उन्हें समेकित करने के लिए भी कहना चाहिए।

**आपसे आह्वान**

2020 को बुलाई जाने वाली कंपनी की बोर्ड बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ 30-09-2019 को समाप्त तीसरी तिमाही एवं नौ महीनों के लिए कंपनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों को मंजूरी देने तथा रिकॉर्ड में लेने के अलावा, कुछ अतिरिक्त मामलों पर नीचे चर्चा किए जाने का प्रस्ताव है। आपको अपने बहुमूल्य इनपुट हेतु उक्त बोर्ड बैठक में विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है।

**चर्चा - 1**

(क) चालू वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा ऑटोमोबाइल पुर्जों की ऑनलाइन खरीदारी का नया उद्यम शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है।

**चर्चा - 2**

(ख) विशेष प्रकार के 2,50,000 ऑटो घटकों की आपूर्ति हेतु पूछताछ के संबंध में लागत तथा मूल्य विवरण का मूल्यांकन करना।

**बैक अप**

कंपनी से विशेष प्रकार के 2,50,000 ऑटो घटकों की आपूर्ति हेतु पूछताछ की गई है। कंपनी इसकी आपूर्ति कर सकती है बशर्ते ₹3,00,000 का पूंजी निवेश एवं बिक्री की 3 महीने की लागत की कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई गई हो। अनुमानित लागत इस प्रकार है:

कच्चा माल	@₹3.25 प्रति यूनिट
प्रत्यक्ष श्रम के घंटे	8,000
श्रम दर	₹4.50 प्रति घंटा

**26 फाइनल (नई) परीक्षा: दिसंबर, 2021 (FINAL (NEW) EXAMINATION: DECEMBER, 2021)**

फैक्टरी ओवरहेड्स	₹4 प्रति प्रत्यक्ष श्रम घंटे
बिक्री एवं वितरण व्यय	₹30,000

ऋण ली गई धनराशि अतिरिक्त पूंजी परिव्यय पर 11.5% की दर से उपलब्ध होगी। कंपनी को बिक्री पर 25% शुद्ध रिटर्न की उम्मीद है।

**चर्चा - 3**

(ग) समूह की कंपनियों के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनिवार्यताओं का मूल्यांकन करना। (यह जानकारी स्वतंत्र निदेशकों द्वारा मांगी गई है)।

**समूह की कंपनियों की कुछ वित्तीय जानकारी  
आंकड़े करोड़ रुपये में हैं तथा विगत वर्ष के अनुरूप हैं**

नाम	प्रकृति	इक्विटी शेयर पूंजी	कारोबार	बैंक और पीएफआई से ऋण	सार्वजनिक जमा
एबीसी लिमिटेड	सूचीबद्ध	100	190	50	24
एक्सवाईजे ड लिमिटेड	असूचीबद्ध सार्वजनिक	60	190	50	24
एलएमएन लिमिटेड	असूचीबद्ध निजी	60	190	50	-

**चर्चा के लिए अन्य इनपुट:**

एसएफएल के साथ अपनी परिचय बैठक के पश्चात्, श्री कार्तिक, एसएफएल के वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त) ने आपसे उनकी अपेक्षाओं पर बात की तथा आपकी सलाह के लिए निम्नलिखित इनपुट भी सामने रखे हैं:

- कंपनी में प्रचलित सुदृढ़ आंतरिक जांच एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के बावजूद, जनवरी 2020 में कैशियर द्वारा ₹15 लाख की नकदी की चोरी का पता मई 2020 में चला, जिस तारीख को अंतिम खातों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था, क्योंकि खाताबही की अभी लेखापरीक्षा हो रही थी।
- लंबे समय के लिए विदेश दौरे पर गए एसएफएल के निदेशक श्री क्यू ने मिस्टर वाई को उनकी अनुपस्थिति के दौरान उनके स्थान पर कार्य करने हेतु वैकल्पिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया। कंपनी के अनुच्छेद में वैकल्पिक निदेशकों की नियुक्ति का प्रावधान है। श्री क्यू का दावा है कि उन्हें वैकल्पिक निदेशक नियुक्त करने का अधिकार है।
- श्री कार्तिक ने आशंका व्यक्त की कि बजट निर्धारण प्रक्रिया में कर्मचारियों को अपने लिए स्वयं लक्ष्य निर्धारित करने की अत्यधिक स्वतंत्रता और लचीलापन देने से संभावित खतरा पैदा होगा।

- (iv) श्री कार्तिक ने यह भी बताया कि कंपनी की प्रगति में उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए, श्री शेषाद्री, जो एसएफएल के विशेष निदेशक (लागत एवं वित्त) हैं, को एसएफएल से असंबंधित अन्य दो कंपनियों का प्रबंध निदेशक नियुक्त करने का प्रस्ताव है।
- (v) श्री कार्तिक ने यह भी बताया कि समूह की कंपनियों में से एक का एनसीएलटी के समक्ष कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया चल रही है तथा वह जानना चाहते हैं कि दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 21 के तहत निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है:
1. वित्तीय लेनदार या वित्तीय लेनदार का अधिकृत प्रतिनिधि, यदि वह कॉर्पोरेट देनदार का संबंधित पक्ष है, तो उसे लेनदारों की समिति की बैठक में प्रतिनिधित्व, भागीदारी या मतदान का अधिकार नहीं होगा।
  2. वित्तीय क्षेत्र के नियामक द्वारा विनियमित कोई वित्तीय लेनदार, यदि वह दिवाला शुरू होने की तारीख से पहले इक्विटी शेयरों या इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय साधनों में ऋण के रूपांतरण या प्रतिस्थापन के कारण पूरी तरह से कॉर्पोरेट देनदार की संबंधित पक्ष है, तो उसके पास निदेशकों की समिति की बैठक में प्रतिनिधित्व, भागीदारी या मतदान का कोई अधिकार नहीं होगा।

आपसे अनुरोध किया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ें तथा सलाहकार के तौर पर अपनी क्षमता के अनुसार सही उत्तर दें। कृपया ध्यान दें कि सलाहकार गलती करने का जोखिम नहीं उठा सकता। अतः अपना उत्तर देते समय अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

**भाग-क**

**बहु विकल्पीय प्रश्न**

5.1 ₹15 लाख की नकदी की चोरी को:

- (क) 31.03.2020 को समाप्त वर्ष हेतु संपत्ति, देनदारियों, आय या व्यय के रिपोर्ट किए गए मूल्य में समायोजित करने की आवश्यकता नहीं है।
- (ख) 31.03.2020 को समाप्त वर्ष हेतु संपत्ति, देनदारियों, आय या व्यय के रिपोर्ट किए गए मूल्य में समायोजित करने की आवश्यकता है।
- (ग) केवल 31.03.2021 को समाप्त वर्ष हेतु संपत्ति, देनदारियों, आय या व्यय के रिपोर्ट किए गए मूल्य में समायोजित करने की आवश्यकता है।
- (घ) खातों में खराब ऋणों का प्रावधान किया जाना चाहिए।

5.2 उपरोक्त पैरा (iii) में श्री कार्तिक की आशंका के संदर्भ में, निम्नलिखित का संभावित खतरा है:

- (क) पूर्ण विफलता
- (ख) गैर-प्रदर्शन
- (ग) प्रतिरोध
- (घ) बजट में शिथिलता

5.3 श्री क्यू का वैकल्पिक निदेशक नियुक्त करने का तर्क:

**28 फाइनल (नई) परीक्षा: दिसंबर, 2021 (FINAL (NEW) EXAMINATION: DECEMBER, 2021)**

- (क) सही है क्योंकि कंपनी के अनुच्छेद वैकल्पिक निदेशकों की नियुक्ति का प्रावधान करते हैं।  
(ख) गलत है क्योंकि वैकल्पिक निदेशक को नियुक्त करने का अधिकार केवल निदेशक मंडल में निहित है तथा वह भी अनुच्छेद द्वारा सशक्तिकरण के अधीन है।  
(ग) गलत है क्योंकि वैकल्पिक निदेशक को नियुक्त करने का अधिकार केवल निदेशक मंडल में निहित है तथा ऐसा विशेष प्रस्ताव पारित करके शेयरधारकों के अनुमोदन से ही किया जाना चाहिए।  
(घ) गलत है क्योंकि वैकल्पिक निदेशक नियुक्त करने का अधिकार केवल शेयरधारकों के अनुमोदन के साथ विशेष प्रस्ताव पारित करके किया जा सकता है।
- 5.4 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची V के भाग II के खंड V के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में जहां श्री शेषाद्रि को 2 कंपनियों में प्रबंधकीय व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया गया है, वे पारिश्रमिक प्राप्त कर सकते हैं बशर्ते:
- (क) कंपनियों से लिया गया कुल पारिश्रमिक उनकी प्रभावी पूंजी के अनुसार होगा।  
(ख) कंपनियों से लिया गया कुल पारिश्रमिक उन कंपनियों में से किसी से भी स्वीकार्य अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगा, जिसमें वह प्रबंधकीय व्यक्ति है।  
(ग) किसी एक व्यक्ति को एक ही समय में 2 कंपनियों में प्रबंधकीय व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है।  
(घ) पारिश्रमिक का भुगतान आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन किया जाएगा।
- 5.5 संहिता की धारा 21 में निहित दिवाला एवं दिवालियापन संहिता के प्रावधानों के तहत, "चर्चा के लिए अन्य इनपुट" में उपरोक्त पैरा (v) में दिए गए कथनों की शुद्धता का विश्लेषण करें:
- (क) कथन 1 सही है जबकि, कथन 2 गलत है।  
(ख) कथन 1 गलत है जबकि, कथन 2 सही है।  
(ग) दोनों कथन (कथन 1 और 2) सही हैं।  
(घ) दोनों कथन (कथन 1 और 2) गलत हैं।
- (2 x 5 = 10 अंक)

**भाग-ख**

**वर्णनात्मक प्रश्न**

- 5.6 एक सलाहकार के रूप में चर्चा 1 में इनपुट को ध्यान में रखते हुए, कंपनी की लेखापरीक्षा रणनीति तैयार करने में आपके द्वारा किन कारकों पर विचार किया जाएगा? (5 अंक)
- 5.7 चर्चा 2 में ऊपर दिए गए इनपुट के आलोक में, लागत तथा मूल्य विवरण की गणना करें, जो उस मूल्य को दर्शाता है जिसे ग्राहक को उद्धृत किया जाना चाहिए। (5 अंक)
- 5.8 चर्चा 3 में ऊपर दिए गए इनपुट के आलोक में बताएं कि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत समूह की किन कंपनियों को आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त करना आवश्यक है? (5 अंक)

**केस स्टडी 5 का उत्तर**

**भाग - क**

**5.1 (ख)**

**5.2 (घ)**

**5.3 (ख)**

**5.4 (ख)**

**5.5 (क)**

**भाग - ख**

**5.6 लेखापरीक्षा रणनीति तैयार करना:** किसी कंपनी की लेखापरीक्षा रणनीति तैयार करते समय, निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जा सकता है -

**सामान्य कारक:**

- (i) संबद्धता के उद्देश्य।
- (ii) व्यवसाय समीक्षा के परिणाम, ग्राहक के व्यवसाय तथा उद्योग में प्रमुख विकास, महत्वपूर्ण परिचालन परिणाम एवं वित्तीय व्यवस्था सहित।
- (iii) भौतिकता के रूप में प्रारंभिक निर्णय।
- (iv) चिन्हित अंतर्निहित जोखिम। टीम को धोखाधड़ी के जोखिम एवं विशेषतः फर्म के लिए उच्च स्तर के जोखिम के किसी भी साक्ष्य पर भी विचार करना चाहिए। उन्हें ग्राहकों की स्वीकृति तथा निरंतरता के लिए प्रक्रियाओं के परिणामों को ध्यान में रखना चाहिए।
- (v) मूल परीक्षणों को कम करने के साधन के रूप में टीम को नियंत्रणों का जिस सीमा तक मूल्यांकन करना चाहिए।
- (vi) मूल परीक्षणों की व्यापक प्रकृति, सीमा तथा समय, या मूल परीक्षण के लिए पिछले वर्ष की रणनीति में परिवर्तन।
- (vii) लेखापरीक्षा की योजना बनाने तथा नियंत्रित करने से संबंधित मुख्य बिंदु या मौजूदा व्यवस्थाओं की पर्याप्तता पर टिप्पणी।

**ऑनलाइन शॉपिंग के लिए विशिष्ट कारक:**

लेखापरीक्षक निम्नलिखित क्षेत्रों में ऑनलाइन खरीदारी के नए उद्यम के कारण संबंधित व्यावसायिक प्रक्रियाओं सहित सूचना प्रणाली की समझ भी प्राप्त करेगा:

- (i) संस्था के संचालन में ट्रांजेक्शन के वर्ग जो वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण हैं;
- (ii) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एवं मैनुअल सिस्टम दोनों के भीतर प्रक्रिया, जिसके द्वारा उन लेनदेन को शुरू किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, संसाधित किया जाता है, आवश्यकतानुसार सही किया जाता है, सामान्य खाता बही में स्थानांतरित किया जाता है तथा वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किया जाता है;
- (iii) वित्तीय विवरणों में संबंधित लेखांकन रिकॉर्ड, सहायक जानकारी एवं विशिष्ट खाते जिनका उपयोग लेनदेन शुरू करने, रिकॉर्ड करने, संसाधित करने तथा रिपोर्ट करने हेतु किया जाता है; इसमें गलत जानकारी का सुधार तथा सामान्य खाता बही में जानकारी कैसे

### 30 फाइनल (नई) परीक्षा: दिसंबर, 2021 (FINAL (NEW) EXAMINATION: DECEMBER, 2021)

स्थानांतरित की जाती है, शामिल है। रिकॉर्ड या तो मैनुअल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो सकते हैं;

- (iv) सूचना प्रणाली में लेनदेन के अलावा अन्य घटनाओं तथा शर्तों को कैसे दर्ज किया जाता है, जो वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण हैं;
- (v) गैर-आवर्ती, असामान्य लेनदेन या समायोजन को रिकॉर्ड करने हेतु उपयोग की जाने वाली गैर-मानक जर्नल प्रविष्टियाँ सहित, परिवेश की नियंत्रित जर्नल प्रविष्टियाँ।

#### 5.7

#### लागत तथा मूल्य विवरण

विवरण		राशि (₹)
कच्चा माल	2,50,000 × ₹3.25	8,12,500
प्रत्यक्ष श्रम	8,000 × ₹4.5	36,000
फैक्टरी ओवरहेड	8,000 × ₹4	32,000
बिक्री एवं वितरण		30,000
<b>बिक्री की लागत</b>		<b>9,10,500</b>
जोड़ा: निवेश पर ब्याज (5,27,625* × 11.5%)		60,677
<b>कुल लागत</b>		<b>9,71,177</b>
लाभ जोड़ा (1/3)		3,23,726
<b>कुल बिक्री मूल्य</b>		<b>12,94,903</b>
इकाइयाँ		2,50,000
<b>दर प्रति यूनिट</b>		<b>5.179 या 5.2</b>

#### \*निवेश

कार्यशील पूंजी $(9,10,500 \times \frac{3}{12})$	2,27,625
अचल पूंजी	3,00,000
<b>कुल</b>	<b>5,27,625</b>

**5.8 आंतरिक लेखा परीक्षा के प्रावधानों की प्रयोज्यता:** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 138 के अनुसार, कंपनियों के निम्नलिखित वर्ग (कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 13 में निर्धारित) को आंतरिक लेखा परीक्षक या आंतरिक लेखा परीक्षकों की फर्म नियुक्त करने की आवश्यकता होगी, अर्थात्: -

- (क) प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी;
- (ख) प्रत्येक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी जिसका -

- (1) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान पचास करोड़ रुपये या उससे अधिक की चुकता शेयर पूंजी; या
  - (2) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान दो सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक का कारोबार; या
  - (3) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय बैंकों या सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से एक सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक के बकाया ऋण या उधार; या
  - (4) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय पच्चीस करोड़ रुपये या उससे अधिक की बकाया जमा राशि; तथा
- (ग) प्रत्येक निजी कंपनी जिसका -
- (1) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान दो सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक का कारोबार; या
  - (2) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय बैंकों या सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से एक सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक के बकाया ऋण या उधार।

दिए गए मामले में, एबीसी लिमिटेड एक सूचीबद्ध कंपनी है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 138 के अनुसार, प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी को आंतरिक लेखा परीक्षक या आंतरिक लेखा परीक्षकों की एक फर्म नियुक्त करना अनिवार्य है। इस प्रकार, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, एबीसी लिमिटेड को आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त करना अनिवार्य है।

इसके अलावा, एक्सवाईजेड लिमिटेड, एक गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी है। कंपनी की 60 करोड़ रुपए की इक्विटी शेयर पूंजी है जो धारा 138 के अनुसार पचास करोड़ रुपये की निर्धारित सीमा से अधिक है। इस प्रकार, एक्सवाईजेड लिमिटेड को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 138 के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त करना अनिवार्य है।

एलएमएन लिमिटेड गैर-सूचीबद्ध निजी कंपनी है तथा 60 करोड़ रुपये की इक्विटी शेयर पूंजी है, टर्नओवर 190 करोड़ और बैंक एवं पीएफआई से 50 करोड़ रुपये का ऋण है। ऊपर चर्चा की गई कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 138 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, सभी सीमाएं निजी कंपनी के लिए निर्धारित सीमा से कम हैं। इसलिए, एलएमएन लिमिटेड को आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त करना अनिवार्य नहीं है।

अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एबीसी लिमिटेड तथा एक्सवाईजेड लिमिटेड को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त करना अनिवार्य है जबकि एलएमएन लिमिटेड को ऐसा करना अनिवार्य नहीं है।